

श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

(निमिल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर ४०००१०)



रायपुर, दिनांक १५/०४/२०१३

—: आदेश :—

क्रमांक / ६०२ / 2013, बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजनांतर्गत मुंगेली जिले के 78 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु राज्यांश राशि रूपये 10,000/- प्रति श्रमिक तथा केन्द्रांश राशि की प्रत्याशा में राज्यांश राशि रूपये 10,000/- प्रति श्रमिक के मान से कुल रूपये 15,60,000/-लाख (रूपये पंद्रह लाख साठ हजार मात्र) का आबंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या - 18, शीर्ष - 2230-श्रम और रोजगार, (01)-श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, 0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2837) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश ०६/२०१२, परिपत्र क्रमांक / २२७७ / एल-६६ / २०१२ / वित्त / ब-४ / चार, दिनांक ०२.०३.२०१२ में उल्लेखित दिशा निर्देश के तहत जारी की जाती है।

(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

०८

(राजेश श्रीवास्तव)
उप श्रमायुक्त/वित्त अधिकारी
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर

पृ० क्रमांक / ३१ / बं.श. / श्र०आ० / २०१३ / १६४९ - ५४५

रायपुर, दिनांक १८/०३/२०१३

प्रतिलिपि :—

- अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- महालेखाकार छ०ग० रायपुर।
- कलेक्टर, मुंगेली की ओर प्रेषित कर लेख है, कि आबंटित राशि का आहरण कर रू 20,000/- प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- कोषालय अधिकारी, मुंगेली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्रम पदाधिकारी, मुंगेली की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- लेखा शाखा मुख्यालय, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

०८

(राजेश श्रीवास्तव)
उप श्रमायुक्त/वित्त अधिकारी
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर